जनसंख्या भूगोल : संकल्पना एवं उपागम

डॉ0 मनोज कुमार सिंह
प्रवक्ता–भूगोल
पं0 रामचरित्र मिश्र पी0जी0 कालेज, पड़ेला, कादीपुर, सुलतानपुर

जनसंख्या भूगोल धरातल पर जनसंख्या की संख्यात्मक विशेषताओं के वितरण और उनमें क्षेत्रीय अन्तर उत्पन्न करने वाले गतिशील तत्वों के अध्ययन के साथ– साथ क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्वों/कारकों के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या करता है। आज सम्पूर्ण विश्व जनसंख्या विस्फोट से आक्रान्त है। क्योंकि जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि किसी भी क्षेत्र के लिए बहुआयामी समस्यायें उपस्थित करता है। जनसंख्या में द्रुतगति से हो रही वृद्धि के कारण जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों का सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन असंयमित होता जा रहा है। इससे न केवल भोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो रही है वरन् भौतिक संसाधनों के तीव्र विदोहन के कारण उनमें द्रुतगति से ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इससे पारिस्थैतिक संतुलन असंयमित होने के साथ भौतिक सुविधाओं में भी दिन–प्रतिदिन कमी होती जा रही है। इन्हीं सब कारणों से विश्व के लगभग सभी राष्ट्र जनसंख्या एवं प्राकृतिक संसाधनों के सम्यक् ऑकलन एवं विश्लेषण के उपरान्त समन्वित विकास हेतु जनसंख्या योजना कार्यान्वित कर रहे हैं ताकि जनसंख्या वृद्धि को कम करने के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक वातावरण में संतुलन स्थापित किया जा सके।

भूगोल में मानव केन्द्रित अध्ययन के प्रारम्भ का श्रेय फ्रेन्च भूगोलविद् विडाल–डी–लॉ–ब्लाश, जीन ब्रून्स, डिमाँजिया, एम0 शोरे आदि को है। लेकिन जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय जी0टी0 ट्रिवार्था को है जिन्होंने 1953 में अपने व्याख्यान के अन्तर्गत इसे भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में विकसित करने के लिए भूगोलविदों का आह्वान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भूगोलविदों ने इस शाखा को विकसित करने में रुचि दिखाई। ट्रिवार्था ने क्षेत्रों को विशिष्टता प्रदान करने वाले विविध कारकों के मध्य मानव के महत्व को दर्शाया और मानव के इस पक्ष की उपेक्षा न करने की सलाह भूगोलविदों को दी।

जनसंख्या भूगोल का लक्ष्य विश्व में जनसंख्या के वितरण व उसके प्रतिरुपों का अध्ययन करना है। इसके अन्तर्गत देखा जाता है कि जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण क्या है ? विश्व में जनसंख्या का संकेन्द्रण और जनविहीन क्षेत्र कहाँ–कहाँ है ? यह वितरण भौगोलिक एवं राजनैतिक इकाइयों, दोनों में दिखाया जा सकता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 77 प्रतिशत, स्थल क्षेत्र के मात्र 10 प्रतिशत भाग पर निवास करता है। आर0 पर्ल महोदय के अनुसार विश्व की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या 05 प्रतिशत भाग पर निवास करती है जबकि 57 प्रतिशत क्षेत्रफल पर विश्व की 05 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। सी0 जेम्स के अनुसार दक्षिण–पूर्ण एशिया में विश्व की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या पायी जाती है जो विश्व के रहने योग्य भूमि के 10 प्रतिशत भाग पर केन्द्रित है, तथा दूसरी ओर यूरोप में विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या विश्व के रहने योग्य भूमि के 05 प्रतिशत भाग पर आबाद है।

पृथ्वी तल पर जनसंख्या का वितरण लगातार नही मिलता है। चीन व भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं लेकिन वहाँ इसका वितरण विच्छिन्न मिलता हैं। कुल स्थल क्षेत्र का 30 प्रतिशत भाग आबाद है जबकि 70 प्रतिशत भाग जनविहीन है। अति शीत प्रदेश, ऊष्ण मरुस्थल, ऊष्णार्द्र वन, पर्वतीय क्षेत्र ऐसे ही जनविहीन भू–भाग हैं।

जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में जनसंख्या वह प्रसंग बिन्दु है जहाँ से सभी तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है। पहले भौतिक तत्वों का अध्ययन मानव के सन्दर्भ में नही किया जाता था लेकिन मानव भूगोल के विकास के साथ–साथ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन मानव को दृष्टि में रखकर किया जाने लगा है।

जनसंख्या के संयोजन व विशेषताओं के अध्ययन को जनसंख्या संरचना कहते हैं। इसके अन्तर्गत नर–नारी अनुपात, आयु, वृद्धि दर, ग्रामीण व नगरीय अनुपात, स्वास्थ्य, शिक्षा, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, भाषा, व्यावसायिक ढाँचा, आयु इत्यादि आते हैं।

जनांकिकी में मुख्य रुप से जनसंख्या के अंकों यथा कुल जनसंख्या, जन्मदर, मृत्युदर, वृद्धिदर, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ उन अंकों का प्रयोजन, वितरण घनत्व व प्रतिरुप सम्बन्धी मानचित्रों से होता है और उसमें क्षेत्र तथा स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान समय में रूस में जनसंख्या भूगोल में उसके उत्पादक पक्ष के अध्ययन को महत्व दिया जा रहा है। इस विचारधारा का अन्य देशों में भी धीरे–धीरे अनुसरण किया जा रहा है। जनसंख्या भूगोल में व्यक्ति को महत्व न देकर समूह को महत्व दिया जाता है।

विश्व के भिन्न–भिन्न देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर में भिन्नता होने के कारण वे देश विभिन्न जनांकिकी अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं। जैसे भारत और चीन में जन्मदर अधिक और मृत्युदर कुछ कम है। अफ्रीकी देशों में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ऊँची है। ब्रिटेन और फ्रांस में जन वृद्धि धीमी गति से और सोवियत रुस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यम गति से हो रही है जबकि जर्मनी में वृद्धि दर ऋणात्मक है।

मनुष्य की विशेषता है कि वह किसी भी जलवायु में अपने को समायोजित कर लेता है या वातावरण को संशोधित कर देता है। फलतः जन–स्थानान्तरण होता रहता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या का भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण से जो सम्बन्ध होता है, उस सम्बन्ध का सकारण विश्लेषण जनसंख्या भूगोल द्वारा किया जाता है। मानव प्रकृति की उपज नहीं बल्कि वह सांस्कृतिक वातावरण का निर्माता है।

जनसंख्या भूगोल का आधार मात्रात्मक होता है जिसके लिये जनसंख्या भूगोलविद् को विविध स्रोतों से प्राप्त सांख्यिकीय आँकड़ों की सहायता लेनी पड़ती है लेकिन जनसंख्या भूगोलविद् का उपगमन गुणात्मक होता है। वह भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के मिश्रित अर्न्तसम्बन्धों का संश्लेषण करता है तथा जनसंख्या की व्याख्या और विश्लेषण करता है।

सन् 1953 के पूर्व जनसंख्या का भौगोलिक विश्लेषण प्रादेशिक विधि के अन्तर्गत किया जाता था। इसके अन्तर्गत पृथ्वी तल को समांगी क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। इस क्षेत्र की मानवीय दशाओं में समानता मिलती है। इस विधि के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को उप क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा सके। इन प्रदेशों में स्थान, समुदाय और व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन तीनों में मनुष्य का सबसे कम अध्ययन किया जाता है। यदि विश्व में जनसंख्या का वितरण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओसीनिया इत्यादि महाद्वीपों में किया जाय तो इसे जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की प्रादेशिक उपागम विधि कहा जायेगा।

प्रादेशिक विधि को क्रमबद्ध विधि भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों के भूगोलविद् इसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जनांकिकीविद् भी अब इसी विधि से अध्ययन करने लगे हैं। क्रमबद्ध उपागम के अर्न्तगत पृथ्वी तल के मानवीय लक्षणों प्रक्रियाओं व विशेषताओं का अध्ययन पृथक–पृथक प्रकरणों में विभक्त कर दिया जाता है। मानवीय तथ्यों के अध्ययन को प्रकरणों में बाँटे जाने के कारण इसे प्रकरण विधि भी कहते हैं।[7] जिस प्रकार किसी क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन तापमान वर्षा, वायुदाब, हवायें, आर्द्रता इत्यादि शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है, उसी प्रकार जनसंख्या का अध्ययन करते समय यदि जनसंख्या की वृद्धि, नर–नारी अनुपात, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, आयु संरचना, व्यवसाय आदि शीर्षकों के अर्न्तगत अध्ययन किया जाय तो इसे क्रमबद्ध उपागम विधि कहा जायेगा।

आचारपरक उपागम के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रतिरुपों का मनुष्य के आचार व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाता है। इसकी पृष्ठिभूमि में यह माना जाता है कि प्रत्येक भौगोलिक प्रतिरुप कुछ अंश में सम्बन्धित मानव समुदाय के आचार व्यवहार का प्रतिफल होता है। मनुष्य हमेशा सन्तोषप्रद निर्णय लेना चाहता है। वह वातावरण के अनुरूप अपने को नहीं देखना चाहता है बल्कि वातावरण को अपने अनुरुप देखना चाहता है। विविध भागों में जनसंख्या का स्थानान्तरण मानव के आचार का परिणाम है।

भारत में परिवार नियोजन को आवश्यक माना जा रहा है जो इसी का परिणाम है। आचारपरक् दृष्टिकोण के फलस्वरुप ही विविध सामाजिक विज्ञानों की विधियों यथा साक्षात्कार विधि, निर्णय लेने के मॉडल–सिमुलेशन मॉडल इत्यादि का प्रयोग भूगोल में इस विधि के विकास के फल्स्वरुप होने लगा है।

वस्तुओं के समुच्चय को सिस्टम कहा जाता है जिसके अन्तर्गत एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध तथा उनके वैयक्तिक गुणों का अध्ययन करते हैं। डॉ0 आर0 रामचन्द्रन के अनुसार जहाँ मानव का अन्तर्सम्बन्ध अत्यधिक जटिल हो गया है वहाँ इस विधि से सन्तोषपूर्ण ढंग से व्याख्या की जा सकती है। बल्कि समुच्चय के रुप में सिस्टम की संरचना और क्रियाकलापों को समझने पर बल दिया जाता है। इस विधि का दो रूपों में प्रयोग किया जाता है –

प्रथम रूप में सिस्टम के तत्व, गुण, सम्बन्ध, वातावरण व प्राचल को पहचाना जाता है। यदि कोई सिस्टम की संरचना को परिभाषित करने में सफल हो जाता है तो इसके पश्चात् मॉडल बनाना और थ्यौरी को जन्म देना सरल हो जाता है।

दूसरे रुप में सिस्टम के वाह्य आचार व्यवहार को देखा जाता है कि वह एक विशिष्ट वातावरण में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। लेकिन जिस तत्व का अध्ययन किया जाता है उसके सम्बन्ध में कोई मौलिक सिद्वान्त विकसित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की उक्त उपागम विधियाँ एक–दूसरे की विरोधी न होकर बल्कि पूरक होती हैं।

सन्दर्भ सूची :–

1 जी0टी0 ट्रिवार्था (1953) : ए ज्योग्रफी आफ पापुलेशन वर्ल्ड पैटर्न,
2 डेमको जी0जे0 (1976) : पापुलेशन ज्योग्रफी एम0सी0 ग्रा0हिल न्यूयार्क,
3 पी0ई0 जेम्स (1954) : अमेरिकन ज्योग्रफी इन्वेन्टरी एण्ड प्रास्पेक्ट,
4 गार्नियर जे0वी0(1969) : ज्योग्रफी आफ पापुलेशन सेन्ट मार्टिन प्रेस, न्यूयार्क,
5 दूबे के0के0,सिंह एम0बी0 (1994) : जनसंख्या भूगोल रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली
6 जे0 आई क्लार्क (1975) : पापुलेशन ज्योग्रफी परगमन प्रेस आक्सफोर्ड,
7 चन्दना आर0सी0(1986) : जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली, लुधियाना,

पुलिस में भूमिका संघर्ष का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 पल्लवी कुमारी
एम0ए0 (पी–एच0डी0) समाजशास्त्र

विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी इसके भोगोलिक विविधता, बहु जातियता, बहु संस्कृति और बहु नृजातिय प्रकृति स्पष्टतया दिखाई पड़ती है। भारत विश्व के लगभग सभी धर्मों का निवास स्थान है। वर्तमान में जबकि धार्मिक उन्मादता अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है वैसी स्थिति में पुलिस बल की जवाबदेही तो बढा दी जाती है परंतु उनकी जो आवश्यक्तायें हैं उसको पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिससे पुलिस वालों की कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पडता है।

वर्तमान समय में जहां देश अलगाववाद आतंकवाद से जुझ रहा है वहीं दूसरी ओर राज्य नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। जिससे पुलिस बल को ज्यादा से ज्यादा समय अपने मोर्चे पर डटे रहना पड रहा है। जिसने आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठा दिये हैं और अगर पुलिस इस समस्या का सामना करने में अपने आपको विफल पाती है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके कार्य की विपरित परिस्थितियां व राजनीतिक हस्तक्षेप जिम्मेदार है। वर्तमान पुलिस बल की कार्य प्रणाली आई पी ए के अंतर्गत आती हैं इसके अलावे इंडियन पीनल कोड 1862 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ओर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिडयोर 1861 के अधिन।[1] वे मिलकर वर्तमान का निर्माण अवश्य करते हैं परंतु वे अनुपयोगी हैं। राज्य स्तर पर कुछ प्रयास अवश्य किये गये जिससे पुलिस प्रणाली में सुधार किया जा सके। परंतु किये जाने वाले सभी प्रया 1861 पर ही आधारित रहे और औपनिवेशिक मानसिकता को ही आगे बढाते रहे।

पुलिस वर्तमान में कार्यों के बोझ से दबी हुई है और पुराने अपराधों की जांच में ही उसका अधिकांश समय व्यतित हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके पीछे के विद्यमान कारकों को जाना जाये। पुलिस की सर्व प्रमुख समस्या उनकी संख्या की सीमितत और आर्थिक संसाधनों का अभाव है। पुलिस को उचित प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के कारण वे जनता की समस्याओं को तार्किक तौर पर दूर कर पाने में अपने आपको असफल पाते है। जो उनकी समस्या का कारण बनता है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी पुरी योग्यता व कुशलता का प्रयोग करते हुए 50–60 केसों का निपटारा कर सकता है।[2] यद्यपी मालिमथ समिति ने अपनी अनुशंसा में इसमें ओर दस केसों को जोडा था। इस अनुशंसा के आलोक में रांची शहर में देखा जाये तो एक एक पुलिस ऑफिसर के जिम्मेदारीयों में आने वाले केसों की संख्या को 80 प्रतिशत तक है। जहां तक केसों के अनुसंधान की बात है तो यहां पर मात्र 12 प्रतिशत पुलिस वालों को ही इसके अधिकार दिये गये हैं। दूसरी ओर पुलिस वालों के बीच किसी भी अपराध के अनुसंधान के लिए प्र्याप्त मात्रा में स्रोतों का अभाव है। जैसे जैसे समाज आधुनिकीकृत हो रहा है वैसे वैसे अपराध की प्रवृति में भी परिवर्तन आ रहा है। परंतु पुलिस को इन परिस्थितियों में या तो अपने से उच्च पदस्थ अफसरों पर निर्भर होना पडता है या दूसरे राज्यों की फारेंसिक जांच की रिपोर्ट पर । यहां पर अधिकांश केसों के अनुसंधानक सबूत के तौर पर मौखिक स्वीकारोक्ति को ही आधार बनाते है जो न्यायिक प्रक्रिया में टिक नहीं पाता।

पुलिस व आमजनता के बीच के संबंधों में हाने वाली बेहतरी का अभाव में पुलिस की समस्यायें भी है। जिसके कारण जब कोई आमजनता रिपोर्ट कराने जाती है तो वे पूर्व से ही आपने कार्यो के बोझ से इतना दबे होते हैं ि कवे उसे ढंग से नहीं मिलते या उनकी समस्याओं में रूची नहीं दिखाते और पुलिस व आमजन के बीच बेहतर संबंध नहीं बन पाता है। वहीं दूसरी ओर जनता पुलिस की समस्याओं से अनजान होती है इसलिए वह पुलिस को समाज की समस्याओं को सुलझाने वाला न समझकर उसे बोझ समझती है।[3] साथ ही पुलिस पर विविध अपराधों में अपराधीयों को छोडने के लिए राजनीतिक दबाव भी रहता है। इसलिए वे चाहते हुए भी समस्या का उचित निपटारा नहीं कर पाते है।

पुलिस की सर्व प्रमुख समस्या उनके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप है। जहां तक सिद्धांतों की बात है तो पुलिस को भारतीय संविधान के माध्यम से यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने कार्यों को

निष्पक्ष रूप से पूरा करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर न तो किसी तरह का दबाव रहेगा और न ही उनके कार्यो में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न की जायेगी। और वे पूर्ण रूप से अपने कार्यो के लिए राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। परंतु जब इसकी वास्तविकता को देखा जाये तो पाते हैं कि पुलिस बल को अपने कार्यों के प्रत्येक स्तर पर राजनीतिक दबाव में स्थानांतरण पदोन्नती और कार्यों में अनेक प्रकार के संदर्भों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के दबाव के दो प्रमुख कारक हैं– पहला भ्रष्टाचार व दूसरा अपराधियों का राजनीतिक संपर्क।

जहां तक निर्भरता की बात है तो किसी भी राज्य में उसका मुख्यमंत्री विधायकों के समर्थन के आधार पर ही अपने पद पर बना रह सकता है। इस परिस्थिति ने विधायकों को एक स्रोत प्रदान किया है कि वे अपने समर्थन के आलोंक में मुख्यमंत्री को दबाव देकर पुलिस कर्मीयों के स्थानांतरण, पदोन्निति और नियुक्ति का निर्धारण करते हैं। वैसे पुलिस अधिकारी जो कानून का पालन अपने दायित्वों के निर्वहन में करते हैं परंतु राजनीतिक संपर्क के अभाव में होते हैं उनको वैसे पदों पर या वैसे जिलों में नियुक्त कर दिया जाता है जहां उनकी योग्यता का उपयोग संभव नहीं है वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संपर्क वालें पुलिस पदाधिकारीयों को रिवार्ड के तौर पर विशिष्ट जिले प्रदान कर दिये जाते हैं।[4] इसके परिप्रेक्ष्य संबंधित विधायक उन अफसरों से भूगतान प्राप्त करते हैं और सरकार को समर्थन देकर मुख्यमंत्री पर अहसान भी जताते रहते हैं। इस परिस्थिति में भी पुलिस वाले अपने कार्यों के लिए राजनीतिक दबाव महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनको प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आर्थिक व क्षेत्रिय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य व चिकित्सा की बेहतर सुविधा का अभाव, भोजन का अभाव निवास स्थान की बेहतर व्यवस्था का अभाव व कार्य के घंटों की अनिश्चितता इसके डर से भी वे राजनीतिज्ञों के दबाव में कार्य करते रहते हें जिससे उनका स्थानांतरण ऐसी जगहों पर न किया जाये।

इस प्रकार की स्थिति पुलिस की कार्य प्रणाली को विशेषतया अपराध अनुसंधान के संदर्भ में नकरात्मक तरीके से प्रभावित करती है। पुलिस जांच कर्ता अधिकारी अगर किसी भी प्रकार के अनुसंधान में अपने आपकों सही दिशा में ले जाना चाहता है और किसी भी विधायक या अन्य राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं तो वैसी परिस्थिति में अगले ही दिन उनको अनुसंधान से हटाकर यातायात के संचालन में संबद्ध कर दिया जाता है। मार्शल ने वर्तमान परिदृश्य में निर्देशत्मक पुलिस की आवश्यक्ता पर जोर देते हुए यह बताया है कि पूर्व के सभी किये गये अध्ययन शहरी क्षेत्र की नेतृत्व आवश्यक्ता के आधार पर विकसित किये गये हैं। परंतु इसमें कहीं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की अवधारणा पर जोर नहीं दिया गया है। इससे पुलिस की वास्तविक परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस की जिस अवधारणा का विकास किया गया वह शहरी निर्देशों के अनुरूप ही हुए।

सभी कार्य वरिष्ठ पुलिस स्तर के अधिकारी ही करते हैं सभी अधिकारी अपने अपने तरीकों से इन परिस्थितियों के विरूद्ध अपना विरोध प्रकट करते हैं एक अधिकारी अपने दिये गये कार्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त समयों से परेशान होता है तो दूसरी ओर कार्यो का बंटवारा करने वाला अधिकारी उनके कार्य आवंटन से। यह तनाव पुलिस वालों के लिए उनके कार्य के संदर्भ में और सामाजिक जीवन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न करता है। तनाव से मानसिक बीमारी हो सकती है और अगर ये अपना तनाव घर में लेकर आते हैं तो इससे उनके परिवार की सोच उनके कार्यो के प्रति नकारात्मक होती जाती है। जबकि जनता से जुडने का कार्य निम्न या कनिष्ठ अधिकारियों के जिम्मे होता है जो जनता की आवश्यक्ताओं की पूर्ति से ज्यादा अपने उच्च अधिकारीयों को खुश करने पर विशेष जोर देते है। यह करना न सिर्फ उनकी आवश्यक्त है बल्कि मजबूरी भी। झारखण्ड में 88 प्रतिशत पदों पर नियुक्त अधिकारियों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर के अधिकारी हैं जो किसी भी अनुसंधान के लिए अधिकृत नहीं किये गये हैं।[5] यहां तक पुलिस विभाग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी कभी कभी अपने से उच्च अधिकारीयों के आदेशों से बंधे होते हैं या राजनीतिक दबाव में कार्यों को कार्य रूप देते हैं। इस परिस्थिति ने कांस्टेबल स्तर के पुलिस बल की मानसिकता को हिनता से भर दिया है उनकी नैतिका का ह्रास हो रहा है और उनकी कार्य क्षमता जनता की आवश्यक्तओं की पूर्ति के संपूर्ण नहीं मानी जा सकती।लेथवुड और उनके सहयोगियों ने एक नया फ्रेमवर्क विकसित किया है

जिसके अंतर्गत किसी भी पुलिस संगठन में वर्तमान में कार्य की स्थिति का आकलन किया जा सके। इसके अंतर्गत चार कोर के कार्यों को बांटा गया है: निर्देशन का निर्धारण, लोगों का विकास, संगठन का पूनर्निमाण, और प्रबंधकिय कार्यक्रम। यह पद्वति विभिन्न प्रकार के पुलिस सुधार के कार्यों और विश्वासों को अलग अलग तरीकों से स्थापित करने की कोशिश करता है। जिससे वे जिस किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं वहां के विकास की रूपरेखा का निर्धारण उनके माध्यम से किया जा सके।

रांची के नगरीय समाज में लोगों की यह सोच होती है कि पुलिस न सिर्फ कानून का पालन करने वाली संस्थां है बल्कि वह सामाजिक सेवा, सामाजिक परिवर्तन और लोगों के अधिकार व कर्तव्यों की संरक्षक होती है। पुलिस की नौकरी हमेशा तनाव से भरी होती है। एक तरफ तो उनको कानून के दायरे में रहते हुए कार्य करना पडता है तो दूसरी ओर अपराधीयों को पकडने की जिम्मेवारी और अपने उच्चअधिकारीयों के आदेशों का पालन करना उनके कार्य को काफी दुरूह बनाता हैं यही दुरूहता न सिर्फ उनके कार्य के संदर्भ में लागू होती है बल्कि इसका असर उनके परिवार पर भी पडता है।[6] जब पुलिस कर्मी कानून के नियमों को मानते हुए कोई कार्य करना चाहते हैं परंतू वे उसमें असफल रहते हैं तो वैसी परिस्थिति में वे तनाव ग्रस्त हो जाते है दूसरी और पारिवारिक परिस्थितियों का इन पर विशेष प्रभाव पडता है। क्योंकि अगर कार्य के घंटे नियमित न हों परिस्थितयों अनूकूल न हों और अपने परिवार को समय न दे पाते हों तो वैसी स्थिति में पारिवारिक माहौल तनाव पूर्ण हो जाता है।

विजयंत शर्मा ने अपने अध्ययन जयपूर की पुलिस की संभावना व परिस्थितियों में बताया है कि पुलिस उन पुरातन संस्थाओं को आवश्यक रूप से जागृत करने का प्रयास करना चाहिए जो समाज के आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकें।[7] पुलिस को आवश्यक रूप से लोगों को इस कार्य हेतू तैयार करना चाहिए जिससे वे अपने अधिकतम क्षमता का प्रयोग कर सकें।

यहां पर उनके उपर कई तरह की जिम्मेदारीयां होती है। उनसे यह आशा की जाती हैं कि सभी परिस्थितियों में विशेष तौर पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगे और दूसरी ओर समाज की रक्षा करना कानून का पालन करना तथा अपने से उच्च अधिकारीयों की आदेशों को मानना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। जब कोई व्यक्ति अपने कैरियर की शुरूआत करता है तो यह मानकर चलता है कि वह दूसरों की मदद कर पाने में सक्षम होगा। परंतु असहयोग व जनता का दबाव जैसे कारक उसे तनावग्रस्त कर देते हैं। जिसका मुख्य कारण पुलिस के कार्यों की प्रकृति और पुलिस संगठन की प्रकृति है।

जब कोई पुलिस का कांस्टेबल अपने कार्यों के लिए भर्ती किया जाता है तो उसे यह सीखाया जाता है कि अपने यहां के कानुनों का उसे पालन करना होगा परंतु साथ ही प्रशिक्षण की अवधी में वह यह जान पाता है कि उसे अपने मनोनुकूल या भावनाओं के साथ या आत्मनैतिकता के साथ कार्य नहीं करना है बल्कि उसे वह करना है जो उसके उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त होता है। उच्च अधिकारियों द्वारा अगर गलत आदेश दिया जाता है तो भी उसका पालन करना ही उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस कर्मी एक ओर तो अपने कार्य के घंटों और उच्च अधिकारियों के आदेशों से बंधा होता है वहीं दूसरी ओर वह अपने परिवार के साथ बेहतर संतुलन नहीं बना पाने के कारण अक्सर तनाव की स्थिति में रहता है। अपने बच्चों के बेहतर पालन पोषण की कमी परिवार की देख रेख न कर पाने के कारण पारिवारिक व मानसिक प्रताडना जैसी स्थितियां उसे उसके पथ से डिगा देती है। साजेंट ओर हेड कांस्टेबल जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपने कार्यों के संदर्भ में विशेष तनावों का सामना करना पडता है। जबकि सामान्य पेट्रोलिंग और दिन प्रतिदिन के कार्यों में लगे रहने वाले पुलिस कर्मी अपने आपको बेहतर दशा में पाते है। और तनाव मुक्त रहते है। उसी तरह से पुलिस का राज्य स्तर का मुखिया जो होता है उसे अपने महकमे के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही दी जाती है। और वैसी स्थिति में उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिए उनको जवबदेह होना पडता है।

इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वे स्वास्थ्य की स्थितियों से कार्य करने वाले पुलिसकर्मी ज्यादातर बीमारीयों से ग्रसित होते हैं। जैसे हाइपर टेंशन, अस्थमा, हे फीवर, त्वचा की समस्या, अल्सर, गैस्टोनिकल ट्रैक्ट , माइग्रेन और हेडेक, मानसिक कमजोरी जैसी बीमारीयों से ग्रसित हो जाते हैं।[8] यह उनके उपर शारिरीक और मानसिक तौर पर पडने वाले दबाव को ही दर्शाता

है। जिसका परिणाम उनके सेवा समाप्ति के बाद के वर्षों में विशेष तौर पर दिखाई पडता है। यहां पर कार्य करने वाले कर्मी ज्यादा तर उन परिस्थितियों में बिल्कुल ही नर्वस हो जाते हैं जबकि उनके द्वारा अपने ही किसी सहयोगी के शव को देखना पडता है[9] या किसी व्यक्ति के हत्या के बाद उसके शव को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना पडता है, या अपने परिवार या बच्चें से दूर रहना पडता है, अनियमित छुटिटयों का मिलना या छुटिटयां मिलने से इंकार किया जाना और जीवन का हमेशा संकट मय परिस्थितियों में होना जैसे कारक उनके कार्यो की परिस्थितियों को विपरित करते जाते हैं। ओर अपने आंतरिक तथा बाहय तनाव की स्थिति में वे हत्या या आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाते हैं। परिवार से होने वाला अलगाव इस परिस्थिति के लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार होता है।

जिसके कारण पुलिस वाले अपनी योग्यताओं का बेहतर इस्तेमाल कर समस्याओं को दूर करने में सफल नहीं हो पाये है। और वे नही यह विश्वास दिला पा रहे हैं कि जनता के सभी प्रकार से वे सुरक्षा करने में सक्षम हैं। परंतु इसका दूसरा पक्ष भी हैं चाहे मिडिया हो, राजनीतिक दल हो न्यायालय हो या अन्य कोई संस्था हो वे पुलिस विभाग की नाकामयाबी की खबर को बडी बेबाकी से उठाते हैं और उसे चहुंओर प्रचारित करते हैं[10] परंतु जहां इस विभाग को तारिफ की उम्मिद होती है वहां पर वे हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते है। इससे पुलिसकर्मीयें को मानसिक तनाव होता है और उनका मनोबल जो इनके सहयोग से उंचा हो सकता था वह नीचा होता जाता है। और वे अपने कार्यों के प्रति अपने दायित्वों से बचना चाहते हैं। या करने की कोई महत्वाकांक्षा उनके अंदर बाकी नहीं रह जाती।

निष्कर्ष–

मोटेतौर पर भारतीय पुलिस प्रशासन में दोशों के अंतर्गत प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों की कमी, बजट की कमी, राजनैतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, निषक्रिय सूचना तंत्र, आपसी समन्वय का अभाव आदि है। पुलिस प्रशसन वास्तव में अपनी जीर्ण अवस्था में स्वतंत्रता पूर्व के अंग्रेजों के बनाय प्राचीन अधिनियमों एवं नियमों पर संचालित हो रहा हैं जो कि वर्तमान समय एवं परिस्थितियों के अनूकूल नहीं है। अतः इसमें सुधारों की आवश्यक्ता है। राजनीतिक अवसरवादिता और आधिकारिक लालफीताशाही के बची में फंसकर पुलिस बल में सुधारों की प्रक्रिया को कभी भी प्र्याप्त महत्व प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि कुछ खास समिति जैसे धर्मवीर कमेटी, मलीमथ कमेटी, सोराबजी कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की अनुशंसा की मगर इनकी अनुशंसा फाइलों में धुल चाट रही हैं यहां तक कि सवोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों में निर्दिष्ट संदर्भों में भी राज्य सरकारों को नई पुलिस नीति बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया जो पुलिस बल को उपनिवेशवादी विरास से बाहर निकालकर आधुनिक रूा में स्थापित कर सके। हाल के दिनों में हुए आंतंकवादी हमलों और उनके कारण हुई बर्बादी के चलते राष्ट्र के धैर्य का बंध टूट रहा है। वर्तमान में पुलिस बलों का वेतन काफी कम हैं जिसके परिणामस्वरूप इसमें विविध स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जैसे पुलिसकर्मियों को उचित खानपान तथा रहन सहन के अलाव पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समय समय पर पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। ताकी उन्हें उचित चिकित्सकीय परामर्श देने की सुविधा भी कराई जानी आवश्यक है। छदम आपरेशनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस बलों को आपातकालीन स्थितियों मे मानसिक सुझ बूझ का परिचय देने त्वरित निर्णय लेने तथा उचित कार्यवाही करने का प्राशिक्षण दिया जा सकता है। जिस प्रकार भारत विभिन्न देशों के साथ संयुक्त सेन्य अभ्यासों का आयोजन करता है। उसी प्रकार पुलिस बलों को भी विभिन्न आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के साथि संयूक्त अभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।इससे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में आपसी समन्वय तथि सौहार्द स्थापित होगा। और पुलिस बलों को पुलिस कानूनों, संवैधानिक कानूनों, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अधिकारों, शक्तियों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

संदर्भ सूची–

1. अंसेल एम एच, 2000, ए कंसेप्चूअल मॉडल एण्ड इमपिलिकेशन फोर कॉपियींग विथ स्ट्रेसफूल इवेंटस इन पुलिस वर्क, क्रिमिनल जस्टिस एण्ड विहेवियर पब्लिकेशन लंदन, पृसंख्या 315–318

2. बेकर, टी इ एण्ड बेकर जे पी, 1996, प्रिवेंटिंग पुलिस सुसाइड, एफ बी आई लॉ इन्फोरसमेंट बुलेटिन, न्यूयॉर्क, पृसंख्या 45
3. मेंजर, के, 1997, थिंकिंग इन कम्पलेक्सीटीः द कम्पलेक्स डायनामिक्स ऑफ मैटर माइंड एण्ड मैनकाइंड, स्प्रींगर पब्लिकेशन न्यूयॉर्क, पृसंख्या 406–07
4. शेरमन, एल, 2002, एविडेंस बेस्ड क्राइम प्रिवेंशन, राउलटेज पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क, पृसंख्या 458
5. गर्वनमेंट ऑफ इंडिया 2008, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनुअल रिपोर्ट 2006–07, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी, स्टेटस, होम, जम्मू एण्ड कश्मीर अफेयर्स एण्ड बॉर्डर मैनेजमेंट, पृसंख्या 47
6. गूरूस्वामी मोहन, 2006, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, होप इंडिया पब्लिकेशन, गुडगांव, पृसंख्य 15–16
7. गोयल आशिश, 2007, रेजिंग वायस फोर द अदर हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, मेन न्यूज पब्लिकेशन नवंबर 19 पृ संख्या 1–2
8. कुलकर्णी रमाकांत, 2004, फूटप्वाइंटस ऑन द सैंडस ऑफ क्राइम, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, पृसख्या 12
9. कुमार अरूण, 2007, एक्सपर्ट मॉब्स पनीशिंग क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदुस्तान टाइम्स चंडिगढ, फ्राइडे सितंबर 14 पृ संख्या 13
10. मिश्रा, ओ पी, 2006, पोलिसिंग इन 21स्ट सेंचुरीः एरियाज फोर कन्सर्न द इंडियन पुलिस जर्नल, वॉल्यूम एल थ्री नं 1 जनवरी मार्च पृसंख्या 19